अनुदान संख्या 81 - लोक सभा
GRANT No. 81 - LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,10,00*	*37,45*	*-72,55*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*72,54*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	785,41,00	785,42,00	691,17,13	-94,24,87
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				94,02,91
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		35,49,00	20,09,67	-15,39,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,39,23

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईः–

Notes and comments

1. In the voted portion of revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"				
संसद, राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	Parliament, State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	78541.00	69139.09	69117.13	-21.96
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-9402.91			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹0.07 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) "संसद" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "लोकसभा – सदस्य" – ₹5487.49 लाख की बचत (₹29860.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की कम संख्या, रेल मंत्रालय से डेबिट दावों की प्राप्ति न होना तथा बिजली, पानी और टेलीफोन शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "लोकसभा सचिवालय" –

(क) "सचिवालय" – ₹2265.80 लाख की बचत (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹45297.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विदेशी दौरे, नैमित्तिक मजदूरों, संविदा पर रखे गए दुभाषियों के वेतन, सुरक्षा परियोजनाओं/उपकरणों के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी), प्रदर्शनी/मेलों, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों और कम एलटीसी दावों की प्राप्ति के कारण कम धनराशि की आवश्यकता की वजह से हुई।

(ख) "संसद टीवी" – ₹1375.02 लाख की बचत (₹1605.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यसभा से डेबिट दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹309.10 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत है।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईः–

(I) Provision of ₹0.07 lakh remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Parliament" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Lok Sabha - Members" - saving of ₹5487.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29860.50 lakhs) was due to less parliamentary delegations, non-receipt of debit claims from Ministry of Railways and requirement of less funds towards electricity, water and telephone charges.

(B) "Lok Sabha Secretariat" -

(a) "Secretariat" - saving of ₹2265.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹45297.60 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to less foreign tours, requirement of less funds towards wages of casual labourers, contractual interpreters, Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) of Security Projects/equipments, exhibition/fairs, advertisements in print media and receipt of less LTC claims.

(b) "Sansad TV" - saving of ₹1375.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1605.00 lakhs) was due to non-receipt of debit claims from Rajya Sabha.

(III) Under one head saving of ₹309.10 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4475"	Major Head "4075"					
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services					
मू.	O.	3549.00				
				2109.77	2009.67	-100.10
पु.	R.	-1439.23				

(I) "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय" के अंतर्गत – ₹1539.33 लाख की बचत (₹3549.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक विकास (एलटीई) आधारित संचार प्रणाली की खरीद और प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat" - saving of ₹1539.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3549.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals and procurement of Long Term Evolution (LTE) based communication system by Central Public Works Department (CPWD), Ministry of Housing & Urban Affairs.